मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड तथा मैसर्स मैकेन्जीज लिमिटेड

2793. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रामेश्वरानन्द :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई तथा मैसर्स मैकेन्जीज लिमिटेड, बम्बई के भागीदारों ने आय-कर से बचने के लिए देश में विभिन्न स्थानों पर तथा विदेशों में भिन्न-भिन्न नामों से अपनी फर्में चला रखी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन व्यक्तियों से सम्बन्धित कितनी फर्मों की क्या संख्या है उनके नाम क्या हैं और वे किन स्थानों पर हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि ये व्यक्ति उसी पूंजी को कागजों में अनियमित रूप से दिखा कर बैंकों से ऋण लेते हैं तथा सरकार से ठेके प्राप्त करते हैं ;

(घ) क्या इन फर्मों के विरुद्ध जांच इस नियम के आधार पर भी है कि एक ही परिवारों के व्यक्तियों की विभिन्न फर्मों के लेखों की एक ही आयकर अधिकारी साथ-साथ पड़ताल करें; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस प्रकार आय कर अपवंचन के मामले का पता लगाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख). मैसर्स ओरियण्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्रा०) लिमिटेड और मैसर्स मैकेन्जीज लिमिटेड निगमित कम्पनियां हैं और उनके कोई भागीदार नहीं हैं। बम्बई में ऐसी बहुत सी कम्पनियां हैं जिनमें मैसर्स ओरियण्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्रा०) लिमिटेड और मैसर्स मैकेन्जीज लिमिटेड को नियन्त्रित करने वाले व्यक्ति के हित निहित हैं। इनमें से कुछ कम्पनियां पुरानी हैं और कुछ गत कुछ वर्षों में चालू की गई हैं। सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि ये कम्पनियां आयकर की चोरी के लिये चलाई गई हैं। विदेशों में चालू की गई कम्पनियों के बारे में भी सरकार को कोई सूचना नहीं है।

सम्बन्धित कम्पनियों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. मैसर्स झुनझुनवाला ब्रदर्स
2. मैसर्स श्रीराम रामीरंजन।
3. रांची, रूरकेला, ऊटकमण्ड और सारावती में ठेके चलाने के लिये साझे की कम्पनियां।
4. झुनझुनवाला जरवियस लिमिटेड।
5. रेयन पल्प मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड।
6. कल्याण पल्प एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड।
7. नेशनल इण्डिया ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड।
8. आर० जे० एण्ड सन्स।

ये सभी कम्पनियां बम्बई में स्थित हैं।

(ग) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(घ) और (ङ). ऐसा कोई नियम नहीं है। फिर भी जांच-पड़ताल की सुविधा के लिये केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड इन सब मामलों को केन्द्रित करने की कार्यवाही कर रहा है।

मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन

2794. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री स० ला० बर्मा :
श्री रामेश्वरानन्द :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962–63, 1963–64 तथा 1964–65 में मैसर्स ओरियन्टल टिम्बर